जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज।

आम सूचना

सामाजिक वानिकी हेतु सूचीबद्ध फैसिलिलेटर के कार्य एवं दायित्व

मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर फैसिलीटेटर सूचीबद्ध किया जाना है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 309315 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा वर्ष 2017–18 में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं का लक्ष्य एवं क्रियान्वयन के संबंध में निदेश प्राप्त है। पूर्व में सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा चयनित फैसिलीटेटर का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया जिसके कारण इस जिले का मानव दिवस वर्ष 2016–17 में विभागीय लक्ष्य 4312713 के विरूद्ध 2332556 जो लक्ष्य का 54.08 प्रतिशत में ही सिमट कर रह गया । अतएव विभागीय निदेश पत्रांक 309315 दिनांक 02.05.2017 के निदेशों के अनुरूप सूचीबद्ध हेतु चयनित फैसिलीटेटर को निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज से एकरारनामा करना होगा।

इच्छुक फर्म को दिनांक 22.07.2017 तक कार्य–दिवस पर निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज के यहाँ आवेदन–पत्र (निविदा के साथ) जमा करना होगा। निविदा उसी दिन 3.30 पर खोली जायेगी। विस्तृत विवरण जिले के Website-www.gopalganj.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

शर्तेः–

1. निविदादाता को आवेदन के साथ 100000.00(एक लाख) रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के पदनाम से जमा करना होगा।
2. सफल/चयनित निविदादाता को सूचीबद्ध करने के समय निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गोपालगंज के साथ मो0 2500000.00(पच्चीस लाख) रुपये की गारंटी एकरारनामा के साथ जमा करनी होगी।
3. एकरारनामा के शर्तों के भंग होने की स्थिति में जमानत की राशि 100000.00(एक लाख) रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना किसी सूचना का जब्त कर लिया जाएगा तथा इसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी।
4. निविदादाता को किसी भी डी0आर0डी0ए0 से न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म/संस्था को वैट रजिस्ट्रेशन/A/F Registration of VAT का प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. एक से अधिक आवेदन सूचीबद्ध होने पर अद्योहस्ताक्षरी को संस्था को कार्यों का बँटवारा करने का अधिकार होगा।
9. किसी भी समय बिना किसी कारण के निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
10. संस्था को विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर दिये गए निदेश के आलोक में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
11. सूचीबद्ध निविदादाता को डी0आर0डी0ए0 से विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप एवं तद्नुसार संशोधित प्रारूप में एकरारनामा करना होगा।

सूचीबद्ध संस्था को मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों के दायित्व दिये जाएंगे जिनका निर्वहन करना होगा।

1. मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति परिवारों की महिलाओं को जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूह बनाना एवं उनके अधिकारों (entitilements) एवं मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वयन की प्राथमिकता के बारे में जागरूक करना।
2. मनरेगा के तहत कार्यरत एजेंसी, यथा ग्राम पंचायतों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों के बीच सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी के लाभों/फायदों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
3. सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों/क्रियाकलापों का सर्वेक्षण (Survey), आयोजन (Planning) , प्राक्कलन (Estimate) , मूल्यांकन (Evaluation) इत्यादि हेतु व्यक्तिगत लाभुकों के साथ–साथ परियोजना क्रियान्वयन इकाई को सहयोग प्रदान करना।
4. अच्छी गुणवत्तायुक्त पौधों एवं अन्य तत्वों को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तय किए गए दर पर प्रदान करना।
5. स्वयं सहायता समूहों को नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण एवं नर्सरी की स्थापना में सहयोग करना तथा इनके द्वारा उत्पादित पौधों को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेन्सी से संबद्ध कर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदने की व्यवस्था मनरेगा नियमों के तहत करना। जीविका कर्मी के साथ समन्वय स्थापित कर स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देते हुए नर्सरी में पौधों का उत्पादन भी करवाना होगा।
6. इच्छुक लाभार्थियों का नाम मनरेगा के अंतर्गत जोड़ना एवं उन्हें जॉब कार्ड प्रदान करते हुए बैंक/पोस्ट ऑफिस के साथ संबद्ध करना।
7. इच्छुक जॉबकार्डधारियों को रोजगार/काम की मांग का रजिस्ट्रेशन करवाना।
8. वृक्षारोपण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं पांच वर्षों के लिए रख–रखाव हेतु प्रशिक्षित करना।
9. उपस्थिति बनवाने में, मापी करने में, एम0आई0एस0 (MIS) , अद्यतन कराने में, बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान कराने में एवं रिर्पोटिंग में सहयोग प्रदान करना।
10. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रदत्त GIS मैपिंग सुविधा एवं अन्य अनुश्रवण तकनीकी को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।
11. वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत पौधों के वितरण (वृक्ष पट्टा) में सहयोग करना एवं विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार लाभार्थी को वृक्ष पट्टा के लाभ लेने में सहयोग प्रदान करना।
12. उत्पादों को सीधे बाजार एवं खाद्य प्रसंस्करण/बायोडिजल निष्कर्षण उद्योगों से संबद्ध करना एवं विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर व्यक्तिगत लाभार्थियों को उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था करना।
13. सामाजिक वानिकी में प्रथम प्राथमिकता में वन विभाग से पौधों का उठाव करना होगा एवं उनके अनुपलब्धता की स्थिति में जिला अंतर्गत नर्सरी से ही पौधों का क्रय करना

होगा। किसी भी परिस्थिति में जिले के बाहर के नर्सरी का पौधा क्रय नहीं किया जाएगा।

14. व्यक्तिगत लाभार्थियों, परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मनरेगा क्रियान्वयन से संबद्ध लोगों का मोडयूल (Module) आधारित प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन करना।

15. संस्था को सामाजिक वानिकी के तहत पौधारोपण के अनुश्रवण हेतु एक फैसिलीटेटर के रूप में कार्य करना होगा।

16. सूचीबद्ध संस्था/फैसिलीटेटर को Saas Application (Software as a service (SaaS) का विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा। फैसिलीटेटर द्वारा Unit Wise पौधारोपण को Saas Application पर विहित Format में Upload, Android Phone करना होगा।

17. Saas Application पर Grievance Redressal हेतु कार्य करना होगा।

11/9/17

उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।